उत्तर पश्चिम रेलवे

रेलवे भर्ती कक्ष,
पावर हाउस रोड,
जयपुर।

सं.740ई/आरआरसी/जीडीसीई/अधिसूचना/2019 दिनांक 19.09.2019

महत्वपूर्ण सूचना

सर्व सम्बन्धित,

विषय :– सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (अधिसूचना संख्या 02/2019) के कम में।
सन्दर्भ:– इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 16.09.2019 के द्वारा जारी सूचना की निरंतरता में।

–0000–

उत्तर पश्चिम रेलवे पर सामान्य विभागिय प्रतियोगिता परीक्षा (जीडीसीई) कोटे द्वारा ग्रुप सी के 06 पदों की 367 रिक्तियों को भरने के लिए जीडीसीई अधिसूचना संख्या 02/2019 दिनांक 17.06.2019 को रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर द्वारा जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना के सन्दर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों की पात्र/अपात्र आवेदनों की स्थिति रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर की वेबसाईट पर दिनांक 28.08.19 को अपलोड की गई थी। वेबसाईट पर अपलोड की स्थिति में जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र अपात्र किये गए है, उनके आवेदन पत्रों की त्रुटि संशोधन के लिए दिनांक 19.09.19 व 20.09.19 को लिंक उपलब्ध कराया गया है।

उक्त लिंक के द्वारा त्रुटि संशोधन करते समय अभ्यार्थी निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए ही त्रुटि संशोधन करें :–

1. यदि पद अथवा ग्रेड पे/पे लेवल भरने में त्रुटि होने के कारण अभ्यार्थी का आवेदन निरस्त किया गया है तो अभ्यार्थी आवेदन करते समय जिस पद एवं ग्रेड पे/पे लेवल में कार्यरत था उसी पद अथवा ग्रेड पे/पे लेवल के अनुसार ही संशोधन करें। वर्तमान में यदि अभ्यार्थी का स्थानांतरण होने, प्रोन्नति/पदावन्नति मिलने अथवा वित्तिय प्रोन्नति मिलने के वजह से पद अथवा ग्रेड पे/पे लेवल परिवर्तित हो गया है तो वर्तमान पद अथवा ग्रेड पे/पे लेवल के अनुसार संशोधन न करें।

2. केन्द्रीयकृत अधिसूचना संख्या 02/2018 के तहत पे लेवल 1 में नए चयनित अभ्यार्थियों में से यदि किसी ने पूर्व में गलत सूचना दर्शाते हुए रजिस्ट्रेशन कर आवेदन कर दिया हो और उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया हो और वर्तमान में उन्होंने चयनित पद पर कार्यग्रहण कर लिया हो तो चयनित होने के बाद वर्तमान पद के अनुसार विवरण दर्शाते हुए आवेदन में संशोधन न करें। ऐसा पाए जाने पर भर्ती प्रकिया के किसी भी चरण में उनकी उम्मीदवारी निरस्त करने के साथ–साथ उनके विरूद्ध अनुशासनात्क कार्यवाही भी की जा सकती है।

19/9/19

सहायक कार्मिक अधिकारी/भर्ती
कृते अध्यक्ष/रेलवे भर्ती कक्ष